D 245/2017 देवीलाल बनाम श्रीराम वगैरह

दिनांक	कार्यवाही विवरण	तामील
08.07.2022	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी दिनांक 19.01.2021 को प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाब रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से प्रस्तुत किया गया। उभयपक्षकारान को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र मे कथन रहा है कि अपीलान्ट देवीलाल का दिनांक 14.11.2018 को स्वर्गवास हो चुका है। अपीलान्ट प्रार्थी के वैध वारिसान मे अपीलान्ट की पत्नि जमनाबाई की अपीलान्ट देवीलाल के स्वर्गवास के पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है। साथ ही यह	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निवेदन किया कि देवीलाल के प्रथम श्रेणी के वारिस नही होकर बद्रीलाल द्वितीय श्रेणी का वारिस है जिसको कायम मुकाम किया जाकर अपील मे कार्यवाही की जावे। प्रार्थना पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र व ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र राशन कार्ड की फोटो प्रति व जमनाबाई का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया व बहस के पश्चात् प्रार्थी बद्रीलाल की ओर से उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत जिला एवं सेंशन न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ के न्यायालय मे उत्तराधिकार प्रार्थना पत्र व आदेशिका के प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। उक्त आवेदन में विवादित आराजीयात के संबंध मे किसी प्रकार का उत्तराधिकार सबंधी अंकन नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण दिनांक 08.07.2022 को तामील हेतु नियत है जिसमे सिविल न्यायालय के द्वारा प्रार्थी बद्रीलाल को मृतक देवीलाल का वारिस घोषित नही किया है। प्रार्थी बद्रीलाल किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से मृतक देवीलाल का वारिस होना साबित नही होता है। अपीलान्ट मृतक देवीलाल स्वंय ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे पक्षकार मुकदमा नही होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दिवानी के साथ अपील प्रस्तुत की है। उक्त प्रार्थना पत्र का भी अभी तक निस्तारण नही हुआ है। उससे पूर्व ही अपीलान्ट लाऔलाद फौत हो चुका है। पत्नि जमनाबाई का भी उससे पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। ऐसी स्थिति मे मृतक अपीलान्ट के वैधानिक वारिस नही होने व प्रार्थी मृतक देवीलाल का उत्तराधिकारी प्रमाणित नही होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी स्वीकार योग्य नही है। फलस्वरूप प्रार्थी बद्रीलाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी अस्वीकार किया जाकर मृतक अपीलान्ट देवीलाल के वैधानिक वारिस प्रमाणित नही होने से अपीलान्ट देवीलाल की ओर से प्रस्तुत अपील एबेट हो जाने से एबेटमेन्ट के तहत निरस्त की जाती है। निर्णय आज दिनांक 08.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को लौटायी जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	